संख्या पी-8/14-2-2016-800(18)/2016

आशीष तिवारी,

विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी

उ0 प्र0,लखनऊ।

विषय- गाजियाबाद में आई0जी0एल0 द्वारा एस0एच0-57 किमी016.800 से 25.200 तक बायीं पटरी पर तथा अपर गंगा कैनाल मील 101 जो कि एन0एच0-58 किमी0 34.300 से 34.500 तक के मध्य क्रास करती है एवं पूर्वी यमुना नहर किमी0 12.520 से 12.560 तक वायी पटरी में 8'' गैस पाइप लाइन डालने हेतु 0.432 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-1637/गाजियाबाद /23632/2017, दिनांक 03-2-2017 का कृपया कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,नई दिल्ली के दिशा-निर्देश संख्या-11-09/98-एफसी, दिनांक0-7-11-2014 तत्क्रम में राज्य सरकार के शासनादेश सं0-897/11सी-सामान्य, दिनांक 24-10-2016 के दृष्टिगत गाजियाबाद में आई0जी0एल0 द्वारा एस0एच0-57 किमी016.800 से 25.200 तक बायीं पटरी पर तथा अपर गंगा कैनाल मील 101 जो कि एन0एच0-58 किमी0 34.300 से से 34.500 तक के मध्य क्रास करती है एवं पूर्वी यमुना नहर किमी0 12.520 से 12.560 तक वायी पटरी में 8'' गैस पाइप लाइन डालने हेतु 0.432 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति विषयक प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्न शर्तो /प्रतिबंधों पर प्रदान करते हैं-

(1) सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष् का पातन नहीं किया जायेगा।

(2) गैस पाइप लाइन/मार्गो/सड्कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे -किनारे ही बिछाये बिछाये जायेंगे

(3) गैस पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00मीटर से अधिक न होगी

(4) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।

(5) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(6) वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुन: लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

(7) प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।

(8) भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।

(9) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(10) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।

(11) प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(12) प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।

(13) करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(14) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते हैं।

(15) दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू- दर्शाया गया

(16) अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(17) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(18) परियोजना में की भूमिगत एम0डी0पी0ई0 गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।

(18) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

3- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि सैद्धांतिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास पास गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तो के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जायेगा।

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या- पी-137 /14-2-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(2)- वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।

(3)- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

(4)- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद।

(6)- गार्ड फाइल।

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।

shasanadesh.up.nic.in/go/mtra